न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा
राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
109 / 2023	19.07.2023	9.03.2024

उनवान

1– रामरतन उर्फ रतनलाल पुत्र मोतीलाल जाति मेघवाल निवासी ढाबा हाल निवासी औद्योगिक क्षेत्र डी सी एम सुरसागर जिला कोटा राज0

(वादी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

(प्रतिवादी)

वादीगण की ओर से – श्री भारत शर्मा एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

वादी ने उपरोकत शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1– यह कि ग्राम ढाबा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के शामलाती खाते में खाता संख्या 193 की खसरा नम्बर 168 रकबा 0.31 हेक्टर, खसरा नम्बर 173 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 175 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 176 रकबा 0.28 हेक्टर, खसरा नम्बर 216 रकबा 0.07 हेक्टर, कुल 5 किता रकबा 0.73 हेक्टर व ग्राम ढाबा में खाता संख्या 167 की खसरा नम्बर 159 रकबा 1.11 हेक्टर, खसरा नम्बर 159/942 रकबा 0.57 हेक्टर, खसरा नम्बर 162 रकबा 0.14 हेक्टर, खसरा नम्बर 166 रकबा 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 172 रकबा 0.03 हेक्टर कुल 5 किता रकबा 1.97 हेक्टर व ग्राम ढाबा में खाता संख्या 168 की खसरा नम्बर 586/1107 रकबा 0.40 हेक्टर व ग्राम ढाबा में खाता संख्या 313 की खसरा नम्बर 279 रकबा 1.28 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। जिसमें वादी का नाम रतनलाल दर्ज है जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 संलग्न है।

2– यह कि वादी का नाम नामा0 दर्ज करते समय घर पर बोलते नाम रतनलाल के नाम से नामा0 दर्ज कर दिया गया है जबकि वादी का वास्तविक नाम रामरतन है तथा समस्त दस्तावेजों में भी वादी का नाम रामरतन है जिसमें वादी को सरकारी योजनाओं में किसान क्रेडिड कार्ड आदी लेने में परेशानी आ रही है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

3– यह कि वादी का नाम आधार कार्ड, पहचान पत्र राशन कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी अंकतालिका आदि में वादी का नाम रामरतन है। वादी का नाम ग्राम ढाबा की जमाबन्दीयों में

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

है0 व ग्राम ढाबा मे...

रतनलाल होने से सरकारी योजनाओं का लाभ व भूमि सुधार के लिये किसान क्रेडिड कार्ड लेने से वंचित हो रहा है , वादी को दस्तावेजों के आधार पर अपना नाम दुरूस्त कराने का कानूनन अधिकार है, इसलिये वादी का नाम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

4– यह कि प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामरतन के स्थान पर रतनलाल दर्ज कर दिया है जो गलत है , उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रतनलाल के स्थान पर रामरतन दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है इस सम्बन्ध में वादी ने प्रतिवादी से दिनांक 01.07.2023 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नही दिया ओर मना कर दिया जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

5– यह कि वाद कारण दिनांक 01.07.2023 को उत्पन्न हुआ जब कि प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरूस्त नहीं करने की कहन पर पैदा हुआ।

6– यह कि प्रतिवादी भूमि का लेण्ड होल्डर होने से उसे वाद में बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है।

7– यह कि उक्त भूमि माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित होने से वाद को सुनने का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है ओर वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावेः–

कि ग्राम ढाबा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के शामलाती खाते में खाता संख्या 193 की खसरा नम्बर 168 रकबा 0.31 हेक्टर, खसरा नम्बर 173 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 175 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 176 रकबा 0.28 हेक्टर, खसरा नम्बर 216 रकबा 0.07 हेक्टर, कुल 5 किता रकबा 0.73 हेक्टर व ग्राम ढाबा में खाता संख्या 167 की खसरा नम्बर 159 रकबा 1.11 हेक्टर, खसरा नम्बर 159/942 रकबा 0.57 हेक्टर, खसरा नम्बर 162 रकबा 0.14 हेक्टर, खसरा नम्बर 166 रकबा 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 172 रकबा 0.03 हेक्टर कुल 5 किता रकबा 1.97 हेक्टर व ग्राम ढाबा में खाता संख्या 168 की खसरा नम्बर 586/1107 रकबा 0.40 हेक्टर व ग्राम ढाबा में खाता संख्या 313 की खसरा नम्बर 279 रकबा 1.28 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रतनलाल के स्थान पर रामरतन दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वादनी की ओर से निम्न लिखित दस्तावेज वाद पत्र के साथ संलग्न किये हैः–

1– नकल जमाबन्दी सवंत् 2075–2078 ग्राम ढाबा खाता संख्या 313
2– नकल जमाबन्दी सवंत् 2075–2078 ग्राम ढाबा खाता संख्या 193
3– नकल जमाबन्दी सवंत् 2075–2078 ग्राम ढाबा खाता संख्या 167
4– नकल जमाबन्दी सवंत् 2075–2078 ग्राम ढाबा खाता संख्या 168
5– नकल छाया प्रति बैंक डायरी
6– ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र
7– नकल छायाप्रति पेन कार्ड
8– नकल छायाप्रति पहचान पत्र
9– शपथ पत्र वादीनी

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गयाः—

1— तहसीलदार दीगोद की ओर से पत्रांक भू0अभि0/1208 दिनांक 28.02.2024 से प्राप्त जवाब सरकार एवं मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का ढाबा अनुसार सह खातेदार रतनलाल एवं रामरतन दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। तथा तहसीलदार दीगोद द्वारा राजस्व रिकार्ड में रतनलाल के स्थान पर रामरतन किये जाने की अनुशंषा की है।

प्रकरण को साक्ष्य में नियत किया गया। साक्ष्य में सहखातेदार स्वंय रामरतन का शपथ पत्र वाद पत्र के साथ संलग्न किया गया है। पत्रावली को बहस पर नियत किया जाकर पत्रावली को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई हेतु चिन्हित किया गया।

बहस वादी के अधिवक्ता की सुनी गयी। प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार दीगोद उपस्थित है। वादी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत वाद पत्र के बिन्दुओं को दोहराया। राजस्व रिकॉर्ड, जवाब सरकार एवं वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं अधिवक्ता की बहस का गहन अध्ययन व अवलोकन किया गया।

वादी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों व कथनों तथा पत्रावली में संलग्न उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से वादी का नाम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार होने योग्य है।

अतः ग्राम ढाबा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के शामलाती खाते में खाता संख्या 193 की खसरा नम्बर 168 रकबा 0.31 हेक्टर, खसरा नम्बर 173 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 175 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 176 रकबा 0.28 हेक्टर, खसरा नम्बर 216 रकबा 0.07 हेक्टर, कुल 5 किता रकबा 0.73 हेक्टर व ग्राम ढाबा में खाता संख्या 167 की खसरा नम्बर 159 रकबा 1.11 हेक्टर, खसरा नम्बर 159/942 रकबा 0.57 हेक्टर, खसरा नम्बर 162 रकबा 0.14 हेक्टर, खसरा नम्बर 166 रकबा 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 172 रकबा 0.03 हेक्टर कुल 5 किता रकबा 1.97 हेक्टर व ग्राम ढाबा में खाता संख्या 168 की खसरा नम्बर 586/1107 रकबा 0.40 हेक्टर व ग्राम ढाबा में खाता संख्या 313 की खसरा नम्बर 279 रकबा 1.28 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रतनलाल के स्थान पर रामरतन दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 9.03.2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में मजमें आम में सुनाया गया।

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा